न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 142/2023 वाद

GCMS No. – 2023/496

श्री राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश जाति कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

–वादी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं
2– पैरोकार सरकार –प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. .प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की खाता संख्या 105, 106, 107, 108 में दर्ज आराजियात में मेरा का नाम राधेश्याम पिता जगदीश दर्ज रेकार्ड है। जबकि आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते में मेरा नाम राजकुमार दर्ज है। इसलिए रेकार्ड में मेरे नाम का सही मिलान नहीं होने से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजों में भिन्नता होने से के.सी.सी. एवं अन्य योजनाओं से वंचित रह जाता हूं। इसलिए वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में राधेश्याम पिता जगदीश के बजाय राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश दर्ज किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्री राधेश्याम पिता जगदीश कुमावत के नाम ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 597, खाता संख्या 106 की आराजी नम्बर 594, खाता संख्या 107 की आराजी नम्बर 2472, 2473, 2474, 2475 एवं खाता संख्या 108 की अराजी नम्बर 2468, 2471 में हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। आवेदन की जांच प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौतबिरानों से की गई। जांच में पाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

कि प्रार्थी को दो नामों राधेश्याम एवं राजकुमार से जाना जाता है, परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी एवं क्लास 10 की अंकतालिका में नाम राजकुमार पिता जगदीश अंकित है तथा नगरपालिका निम्बाहेड़ा के पट्टा अभिलेख एवं निर्माण स्वीकृति दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्री राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम राधेश्याम पिता जगदीश कुमावत दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि दस्तावेजों में भिन्नता होने से के.सी.सी. एवं अन्य योजनाओं से वंचित हूं। इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज किया जाना उचित है।

3. वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 597, खाता संख्या 106 की आराजी नम्बर 594, खाता संख्या 107 की आराजी नम्बर 2472, 2473, 2474, 2475 एवं खाता संख्या 108 की अराजी नम्बर 2468, 2471 की फोटोप्रति, पेन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक पास बुक की फोटोप्रति, नगरपालिका निम्बाहेड़ा से जारी निर्माण स्वीकृति एवं भुगतान रसीद की फोटोप्रति पेश की है।

4. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए तहसील निम्बाहेड़ा नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 597, खाता संख्या 106 की आराजी नम्बर 594, खाता संख्या 107 की आराजी नम्बर 2472, 2473, 2474, 2475 एवं खाता संख्या 108 की अराजी नम्बर 2468, 2471 में वादी नाम राधेश्याम पिता जगदीश कुमावत दर्ज है जबकि वादी के पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की पास बुक में वादी का राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज है। नगरपालिका निम्बाहेड़ा से जारी निर्माण स्वीकृति एवं भुगतान रसीद में वादी का नाम राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज है। वादी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज कराना चाहता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार वादी को दोनों नामों राधेश्याम व राजकुमार से जाना जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी वादी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र जगदीश कुमावत के बजाय राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rumadia
Date: 2024.01.06 18:46:35 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः वादी का वाद पर्याप्त दस्तावेजों एवं रेकार्ड के आधार पर कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 597 रकबा 0.5300 हैक्टैयर, इसी प्रकार ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

106 की आराजी नम्बर 594 रकबा 0.0500 हैक्टैयर, खाता संख्या 107 की आराजी नम्बर 2472, 2473, 2474, 2475 कुल किता–4 कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खाता संख्या 108 की आराजी नम्बर 2468, 2471 कुल किता–2 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र जगदीश कुमावत के बजाय राधेश्याम उर्फ राजकुमार पिता जगदीश कुमावत घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12

रमेश सीरवी पुनाडिया
सहायक कलेक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:35 IST
Reason: SelfAttested